

22-2-27

पत्रावली के अन्तर्गत वादी व वादी के आवेदन  
को ध्यान-ध्यान करके वादी के आवेदन  
पुकारवाही शर्त वादी व वादी के आवेदन  
हाजिर न्यायालय नहीं आये। अतः वाद  
वादी अदम हाजिरी अदम पैश्वी में खारिज  
किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम  
खेकर बाद तत्तमील दारिखल दफतर ही।

उपसर्ण्ड अधिकारी  
नाखेरी (बन्दी)